



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 02 / 2017 प0पा0 53 आ0

दिनांक - 15/01/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष - 3454 -जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 - जनगणना, 001 - निदेशन तथा प्रशासन, 0003- पशुगणना, मांग संख्या - 02 विपत्रकोड- 02- 3454010010003 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 4,89,600/- (चार लाख नवासी हजार छः सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु आवंटनादेश संख्या-01 (नि०) आ०, दिनांक 11.05.2017, तत्संबंधी शुद्धि पत्र संख्या-07 (नि०) आ०, दिनांक 24.05.2017 एवं आवंटनादेश संख्या-23 (नि०) आ०, दिनांक 01.08.2017 के क्रम में कुल ₹ 4,89,600/- (चार लाख नवासी हजार छः सौ रुपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विस्तृत शीर्ष	विषय कोड एवं विषय शीर्ष	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटित	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	0003.01 01 - वेतन	1212200	202100	1414300
2		0003.01 03 - जीवन यापन भत्ता	1697000	150000	1847000
3		0003. 01 04 - मकान किराया भत्ता	242500	137500	380000
4		0003.01 05 - परिवहन भत्ता	38000	0	38000
5		0003.01 06 - चिकित्सा भत्ता	10000	0	10000
6		0003.01 07 - अन्य भत्ता	0	0	0
योग - 02-3454.01.001.0003.01- वेतन			3199700	489600	3689300
7	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01 - चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000	0	20000
8	11-यात्रा व्यय	11 01 - यात्रा व्यय	30000	0	30000
9	13. कार्यालय व्यय	13 01 - कार्यालय व्यय	15000	0	15000
10		13 06 - वर्दी / पोशाक	0	0	0
योग - 02-3454.01.001.0003..13- कार्यालय व्यय			15000	0	15000
11	20-प्रशिक्षण व्यय	20 03 - प्रशिक्षण व्यय	0	0	0
योग - 02-3454.01.001.0003-पशुगणना			3264700	489600	3754300
₹ 4,89,600/- (चार लाख नवासी हजार छः सौ रुपये) मात्र					

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०- 2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष - 3454 -जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 - जनगणना , 001 - निदेशन तथा प्रशासन, 0003- पशुगणना, विपत्रकोड - 02- 3454010010003 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्थायी स्थापना एवं स्थायी योजना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाय। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित कि जाती है।

Alus

Q

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक- 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक- 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन-भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी० भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 02 / 2017 प०पा० 53 (10) आ०/

पटना-15, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (बन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी० ए०- 57 - 96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 02 / 2017 प०पा० 53 (10) आ०/

पटना-15, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 02 / 2017 प०पा० 53 (10) आ०/

पटना-15, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 02 / 2017 प०पा० 53 (10) आ०/

पटना-15, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 02 / 2017 प०पा० 53 (10) आ०/

पटना-15, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा- 8 एवं लेखा शाखा- 9 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई० टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

Mue